।। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला भरतपुर।।

प्रैस–नोट

दिनांकः– 14.05.2018

29 हजार रूपये का अर्न्तराज्यीय इनामी बदमाश

अवैध हथियार सहित चढा पुलिस के हत्थे

1. थाना उद्योगनगरः– जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर श्री अनिल कुमार टांक ने बताया कि गत दिनों उत्तरप्रदेश, हरियाणा व राजस्थान के अलवर, भरतपुर, दौसा में विशेष गैंग द्वारा दुपहिया व चार पहिया वाहनों से दिन दहाडे हथियारों की नोंक पर लूट की संगीन आपराधिक घटनाओं के मददेनजर रखते हुऐ सक्रिय गैंग को चिन्हित कर वारदातों में लिप्त अपराधियों को पकडने के लिए अति0 पुलिस अधीक्षक श्री सुरेश खींची के सुपरवीजन व सीओ शहर भरतपुर श्री आवडदान रतनू के निर्देशन में थानाधिकारी थाना उद्योगनगर श्री रामनाथसिंह पु0नि0 के नेतृत्व में सीआईयू टीम के सदस्यों सहित टीम गठित कर उक्त आरोपियों की धरपकड हेतु निर्देश दिये हुऐ थे। इस पर उक्त टीम द्वारा पिछले कई दिनों से अपराधियों के घरों पर दबिस दी जाकर सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। जिस पर आज दिनांक 14.05.2018 को टीम के सदस्य श्री हरवीरसिंह हैड कानि0 व श्री जगदीशसिंह कानि0 को जरिये मुखविर सूचना मिली कि गुडडू उर्फ मानसिंह उर्फ मोहनसिंह व उसके चार साथी बिना नम्बरी बोलेरो को लेकर हनुमान तिराया से करीब 200 मीटर पहले पुलिया पर खडे है। जिनके पास अवैध हथियार हो सकते है। उक्त सूचना पर थानाधिकारी थाना उधोगनगर श्री रामनाथसिंह पु0नि0 मुखविर के बताये हुऐ सांकेतिक स्थान पुलिया के पास पहुंचा

तो पुलिस जाप्ता को देखकर हडबडाहट में बोलेरो को लेकर चार व्यक्ति तेज रफतार से गुण्डवा टोल की तरफ भागे व पांचवा व्यक्ति खेतों की तरफ भागा। उसी समय थाना उद्योगनगर से द्वितीय सीआईयू टीम श्री सतेन्द्र कुमार हैड कानि0 व कानि0 श्री जागनसिंह, श्री गिरधारीसिंह, श्री प्रेमचंद मौके पर पहुंचे। जिनको थानाधिकारी द्वारा भागी हुई बोलेरो गाडी का पीछा करने की हिदायत कर भागे हुऐ व्यक्ति का पीछा किया गया तो श्री बीरेन्द्रसिंह हैड कानि0 द्वारा भागकर उसको दबोच लिया व थानाधिकारी द्वारा उसका नाम–पता पूछा तो उसने अपना नाम **1. गुडडू उर्फ मानसिंह उर्फ मोहनसिंह पुत्र रामहंस जाति गुर्जर उम्र 24 साल निवासी रामपुर थाना शेरगढ जिला मथुरा यू0पी0** का होना बताया। जिसकी की तलाशी ली तो कब्जे से एक अवैध देशी कट्टा 315 बोर मय 2 जिन्दा कारतूस मिले। उक्त बदमाश गुडडू उर्फ मानसिंह उर्फ मोहनसिंह जिला मथुरा, अलवर व भरतपुर का वांछित ईनामी बदमाश है। जिस पर करीब ढाई दर्जन प्रकरण राजस्थान, उत्तरप्रदेश व अन्य राज्यों में दर्ज हैं। जिसकी गिरफतारी पर पुलिस अधीक्षक मथुरा यू0पी0 से 20000 रूपये, पुलिस अधीक्षक अलवर राजस्थान से 4000 रूपये व पुलिस अधीक्षक भरतपुर से 5000 रूपये का इनाम (कुल 29 हजार रूपये) घोषित है।

गिरफतार किये हुऐ व्यक्ति का विवरणः–

1. गुडडू उर्फ मानसिंह उर्फ मोहनसिंह पुत्र रामहंस जाति गुर्जर उम्र 24 साल निवासी रामपुर थाना शेरगढ जिला मथुरा यू0पी0

उक्त बदमाश दुपहिया व चौपहिया बाहन द्वारा लूट, चोरी जैसी संगीन वारदात करने का आदतन अपराधी है। जो वर्तमान में पुलिस थाना उद्योगनगर जिला भरतपुर के मु0नं0 07/17 धारा 307, 392 भादस में वांछित अपराधी है।

बरामद किया गया सामानः–

एक अवैध कटटा मय दो जिन्दा कारतूस 315 बोर।

तरीका वारदातः–

बदमाश गुड्डू उर्फ मानसिंह उर्फ मोहनसिंह अपनी गैंग के साथ दोपहिया पॉवर बाईक व चार पहिया वाहनों द्वारा हथियार की नौंक पर दिनदहाडे लूट की वारदातों को अंजाम देते है।

पुलिस टीम के सदस्यों के नामः–

1. श्री रामनाथसिंह पु0नि0 थानाधिकारी थाना उद्योगनगर।
2. श्री बल्देवसिंह स0उ0नि0 सीआईयू टीम भरतपुर।
3. श्री बीरेन्द्रसिंह हैड कानि0 (विशेष योगदान)।
4. श्री चन्द्रशेखर हैड कानि0 सीआईयू टीम भरतपुर।
5. श्री हरवीरसिंह हैड कानि0 कार्यालय अति0 पुलिस अधीक्षक डीग (विशेष योगदान)।
6. श्री सतेन्द्र कुमार हैड कानि0 सीआईयू टीम भरतपुर।
7. श्री गिरधारीलाल कानि0 सीआईयू टीम भरतपुर।
8. श्री जागनसिंह कानि0 सीआईयू टीम भरतपुर।
9. श्री प्रेमचंद कानि0 सीआईयू टीम भरतपुर।
10. श्री जगदीश कानि0 सीआईयू टीम भरतपुर (विशेष योगदान)।
11. श्री वकील चालक कानि0 सीआईयू टीम भरतपुर।

गौवध के मामला का फरार आरोपी पुलिस गिरफ्त में

1. **थाना कैथवाडाः–** दिनांक 28 मार्च 2018 को तत्कालीन थानाधिकारी श्री योगेन्द्रसिंह उ0नि0 को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि गुल्ली वगैराह 3 गौतस्कर गांव भूआपुरघड़ी के जंगल में गाय की हत्या कर रहे है। उक्त सूचना पर थानाधिकारी मय जाप्ता के मुखविर के बताये सांकेतिक स्थान गांव भूआपुरघड़ी के जंगल में पहुॅचे तो करीब 3–4 गौतस्कर गाय को काटते हुये दिखाई दिये। जो पुलिस पार्टी को देख जंगल की तरफ भाग गये थे। पुलिस द्वारा मौके से 2 फवडा, गाय की खाल व आदि अवशेषों को बरामद कर फरार आरोपियों के खिलाफ थाने पर मु0नं0 47/18 धारा 4, 8 आरबीए एक्ट में पंजीबद्व किया गया था। श्री गोपालसिंह हैड कानि0 द्वारा बाद अनुसंधान उक्त मामले के नामजद फरार आरोपी **1. आदिल पुत्र हाजर खां जाति मेव निवासी खोहरा थाना कैथवाडा** को गरफतार किया गया है।

जानलेवा हमले के मामले का आरोपी पुलिस शिकंजे में

1. **थाना सीकरीः–** गांव भूरा का वास थाना सीकरी निवासी जमील पुत्र जुहरू जाति मेव ने गांव के ही नसरूद्दीन पुत्र जोरमल जाति मेव के विरूद्ध प्रार्थी के साथ मारपीट कर जानलेवा हमला करने का एक मामला दिनांक 05 मई 2018 को थाना सीकरी पर मु0नं0 92/18 धारा 323, 341, 307 आईपीसी में दर्ज कराया था। श्री रतनसिंह स0उ0नि0 द्वारा दौराने अनुसंधान उक्त मामले के नामजद आरोपी **1. नसरूद्दीन पुत्र जोरमल जाति मेव निवासी भूरा का वास थाना सीकरी** को गिरफतार किया गया है।

मारपीट कर अपहरण के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार

1. **थाना मथुरागेटः–** राजेन्द्रनगर थाना मथुरागेट निवासी जगदीश पुत्र देवीराम जाति बघेल ने राजेन्द्रनगर के ही कपिल पुत्र भावसिंह जाति जाट वगैराह 2–3 जनों के विरूद्ध प्रार्थी के लडके विवेक के साथ मारपीट कर अपहरण कर लेजाने का एक मामला दिनांक 25 अप्रैल 2018 को थाना मथुरागेट पर मु0नं0 368/18 धारा 143, 323, 341, 342, 365 आईपीसी में दर्ज कराया था। श्रीमती दीपा शर्मा स0उ0नि0 द्वारा दौराने अनुसंधान उक्त मामले के नामजद आरोपी **1. कपिल पुत्र भावसिंह व 2. सूरज पुत्र शेरसिंह जातियान जाट निवासियान राजेन्द्रनगर थाना मथुरागेट** को गिरफतार किया गया है।

दहेज लोभी पति सलाखों के पीछे

1. **थाना उच्चैनः–** गांव बहरा रेखपुरा थाना उच्चैन निवासी हरीश पुत्र भंवरस्वरूप जाति ब्राह्मण ने गांव ललिता मूढिया थाना हलैना निवासी अपनी पुत्री सपना के ससुरालीजनों के विरूद्व प्रार्थी की पुत्री को दहेज के लिये प्रताडित कर घर से निकालदेने का एक मामला दिनांक 28 मार्च 2018 को थाना उच्चैन पर मु0नं0 70/18 धारा 323, 341, 406, 498ए भा0द0सं0 में पंजीवद्व कराया था। थानाधिकारी श्री पुरूषोत्तमलाल उ0नि0 द्वारा दौराने अनुसंधान उक्त मामले के नामजद आरोपी प्रार्थी की पुत्री के पति **1. रवि पुत्र सियाराम जाति ब्राह्मण निवासी ललिता मूढिया थाना हलैना** को गरफतार किया गया है।

अवैध शराव सहित 2 जनो को धर दबोचा

192 पव्वा देशी शराब बरामद

जिले में अवैध शराब तस्करों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस द्वारा अलग–अलग स्थानों से 192 पव्वा अवैध देशी शराव के जप्त कर 2 ब्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

1. **थाना डीगः–** डीग पुलिस द्वारा अलग–अलग स्थानों से मुखविर की सूचना पर अवैध शराब लेजाते हुये पाये जाने पर आरोपी **1. जीतू उर्फ जीतेन्द्र पुत्र पूरनसिंह जाति ठाकुर निवासी गोवर्धन गेट कस्वा डीग** व **2. हेमराज पुत्र घनश्याम जाति जाट निवासी कस्वा डीग** को क्रमशः 96–96 पव्वा (कुल 192 पव्वा) अवैध देशी शराव के गिरफ्तार कर मु0नं0 क्रमशः 246, 248/18 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किये गये हैं।

अवैध कट्टा व कारतूस सहित पुलिस पकड में

जिले में अवैध हथियारों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस द्वारा 1 अवैध कट्टा 315 बोर मय जिन्दा कारतूस के जप्त कर 1 ब्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

1. **थाना पहाडीः–** श्री गोपालसिंह हैड कानि0 मय जाप्ता द्वारा गस्त के दौरान मुखविर की सूचना पर धीमरी मोड से **1. आकिल पुत्र अली मौहम्मद उर्फ धन्ना जाति मेव निवासी छपरा थाना पहाडी** को 1 अवैध कट्टा 315 बोर मय जिन्दा कारतूस के गिरफ्तार कर मु0नं0 133/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

2 स्थाई वारंटी/वारंटी बन्द हवालात

जिला पुलिस द्वारा वारंटी/स्थाई वारंटियो की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान अलग–अलग स्थानों से 1 स्थाई वारंटी व 1 वारंटी को गिरफ्तार किया गया है।

1. **थाना खोहः–** श्री यादराम हैड कानि0 द्वारा मुखविर की सूचना पर कस्वा खोह से स्थाई वारंटी **1. जिहान पुत्र धौनू उर्फ रहमान जाति मेव निवासी रूंध खोह थाना खोह** को गिरफ्तार किया गया है।

2. **थाना उच्चैनः–** श्री शिवरामसिंह स0उ0नि0 द्वारा मुखविर की सूचना पर कस्वा उच्चैन से वारंटी **1. हरी पुत्र कर्मचन्द जाति गुर्जर निवासी कस्वा उच्चैन** को गिरफ्तार किया गया है।

4 सटोरिया बन्द हवालात

3525 रूपये बरामद

भरतपुर पुलिस द्वारा जिले में जुआ/सट्टेवाजों के विरूद्व चलाये जा रहे विशेष अभियान के दौरान कार्यवाही कर अलग–अलग स्थानों से 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर कब्जे से कुल 3525 रूपये नकद मय सट्टा उपकरण के जप्त किये गये हैं।

1. **थाना उधोगनगरः–** उधोगनगर पुलिस द्वारा गांव रारह से **1. भीमसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति तेली निवासी रारह थाना उद्योगनगर** व **2. रवि पुत्र नेकराम जाति जाटव निवासी रारह थाना उद्योगनगर** को क्रमशः 310, 2080 (कुल 2390 रूपये) रूपये मय सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 क्रमशः 103, 104/18 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किये गये हैं।
2. **थाना जुरहराः–** श्री रामकिशन स0उ0नि0 द्वारा टोल नाका जीराहेडा से **1. नफीस पुत्र अयूब जाति मेव निवासी जीराहेडा थाना जुरहरा** को 1005 रूपये मय सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 114/18 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किया गया है।
3. **थाना नगरः–** श्री ज्ञानसिंह हैड कानि0 द्वारा कस्वा नगर से **1. महेशचंद पुत्र मांग्याराम जाति स्वामी निवासी कस्वा नगर** को 130 रूपये मय सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 144/18 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

3 शराबी वाहन चालक पुलिस पकड में

1. **थाना पहाडीः–** थानाधिकारी श्री रमेश तंवर पु0नि0 द्वारा कस्वा पहाडी से शराव के नशे में वाईक चलाते हुए पाये जाने पर आरोपी वाईक चालक **1. कुमरसिंह पुत्र रतनलाल जाति जाटव निवासी तिलकपुरी थाना पहाडी** को गिरफतार कर मोटरसाईकिल को एम0वी0 एक्ट के तहत जप्त किया गया है।

2. **थाना अटलबंदः–** थानाधिकारी श्री कमलेश मीणा उ0नि0 द्वारा काली की बगीची से शराव के नशे में कार चलाते हुए पाये जाने पर आरोपी कार चालक **1. अनिलकुमार पुत्र पप्पूराम जाति माली निवासी भूडागेट कस्वा डीग** को गिरफतार कर ऑल्टो कार को एम0वी0 एक्ट के तहत जप्त किया गया है।

3. **थाना रूदावलः–** श्री विजयपाल हैड कानि0 द्वारा कस्वा रूदावल से शराव के नशे में वाईक चलाते हुए पाये जाने पर आरोपी वाईक चालक **1. बनवारी पुत्र नेकीराम जाति गुर्जर निवासी बागथर थाना बसेडी जिला धौलपुर** को गिरफतार कर मोटरसाईकिल को एम0वी0 एक्ट के तहत जप्त किया गया है।

शराव पीकर उत्पात मचाने के आरोप में 4 जने गिरफ्तार

1. **थाना पहाडीः–** थानाधिकारी श्री रमेशतंवर पु0नि0 द्वारा कस्वा पहाडी से 1. रामचरण पुत्र गुठल जाति जाटव निवासी तिलकपुरी थाना पहाडी को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है।

2. **थाना अटलबंदः–** श्री रमेशचन्द हैड कानि0 द्वारा काली की बगीची से 1. सतीश पुत्र नन्दलाल जाति माली निवासी बजरंगबिहार कॉलोनी थाना अटलबन्द को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है।

3. **थाना कामांः–** थानाधिकारी श्री नेकीराम पु0नि0 द्वारा कस्वा कामां से 1. विष्णु पुत्र लालसिंह जाति गुर्जर निवासी कनवाडा थाना कामां को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है।

4. **थाना रूदावलः–** श्री विजयपाल हैड कानि0 द्वारा कस्वा रूदावल से 1. संजय पुत्र प्रेमसिंह जाति जाट निवासी माडापुरा थाना रूदावल को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है।

शान्ति भंग करने के आरोप में 15 जनों को किया गिरफ्तार

1. **थाना सीकरीः–** श्री रतनसिंह स0उ0नि0 द्वारा अलग–अलग स्थानों से 1. सुबदी पुत्र रहीम, 2. जुबेर पुत्र हाकम जातियान मेव निवासियान झंझार थाना सीकरी, 3. हरिओम पुत्र लखनसिंह जाति भडभूजा निवासी कस्वा सीकरी व 4. अमनसिंह पुत्र रजबन्तसिंह जाति सिक्ख निवासी कस्वा सीकरी को गिरफ्तार किया गया है।

2. **थाना चिकसानाः–** श्री रूपसिंह हैड कानि0 द्वारा गांव पीपला से 1. दीनदयाल पुत्र ओमप्रकाश जाति ठाकुर निवासी पीपला थाना चिकसाना को गिरफ्तार किया गया है।

3. **थाना कामांः–** थानाधिकारी श्री नेकीराम पु0नि0 द्वारा सुन्हेरा रोड से 1. लियाकत पुत्र अस्सर जाति मेव निवासी नगला कुलवाना थाना कामां को गिरफ्तार किया गया है।

4. **थाना रूपवासः–** श्री ताराचंद हैड कानि0 द्वारा थाना परिसर से 1. तेजपाल पुत्र गिरवर जाति जाटव निवासी तेजनगर थाना रूपवास को गिरफ्तार किया गया है।

5. **थाना उच्चैनः–** श्री श्यामसिंह हैड कानि0 द्वारा गांव पिचूना से 1. बदनसिंह पुत्र पूरनसिंह, 2. जसवन्त, 3. महेश पुत्रान हरीकिशन व 4. कपूर पुत्र रमेशचन्द जातियान जाटव निवासियान पिचूना थाना उच्चैन को गिरफ्तार किया गया है।

6. **थाना नदबईः–** श्री बीरबलसिंह स0उ0नि0 द्वारा गांव करीली से 1. पवनकुमार पुत्र सोनवीर जाति जाट निवासी करीली थाना नदबई को गिरफ्तार किया गया है।

7. **थाना पहाडीः–** श्री गोपालसिंह हैड कानि0 द्वारा अलग–अलग स्थानों से 1. निजाम पुत्र जुहरू जाति नाई, 2. हसनू पुत्र दीनू जाति मेव निवासियान कठौल थाना पहाडी व 3. समीम पुत्र रूजदार जाति मेव निवासी सोमका थाना पहाडी को गिरफ्तार किया गया है।

56 वाहन चालकों के खिलाफ की कार्यवाही

जिला भरतपुर में वाहन चालकों के विरूद्व चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **56** वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही की गई हैं। ओवरलोड में सभी प्रकार के वाहन दोपहिया, चौपहिया वाहनों के चालकों के खिलाफ यातायात नियमों के तहत कार्यवाही की गई है, जिससे ओवरलोड वाहनों से होंने वाली सडक दुर्घटनाओं से निजात मिल सके। ऑवरलोड कार्यवाही में **13** वाहन चालकों के चालान किये गये हैं। ऐसे वाहन चालक जो अपने वाहनों को नम्बर डाले वगैर सडकों पर दौडाते रहते हैं, और दुर्घटना करके भाग जाते हैं तथा चोरी के वाहनों का भी पता नहीं चल पाता है इसलिये बिना नम्बरी **5** वाहनों को जप्त किया गया है। इसी प्रकार अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन जैसे बिना हेलमेट लगाये वाहन चलाना, दो व्यक्ति से ज्यादा, नो पार्किंग आदि के आरोप में **38** वाहन चालकों के विरूद्व कार्यवाही की गई है।